कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर (छ.ग.)

//विज्ञापन//

क्रमांक–233/2024 सूरजपुर, दिनांक 09 मार्च 2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 30/03/2024 संध्या 5:00 बजे तक

कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर (छ0ग0) के अन्तर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर, वाटरमेन, चौकीदार एवं माली) के निम्नांकित पदों पर सीधी भर्ती किये जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. रिक्त पदों का विवरण :–

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर 1, वाटरमेन 1, चौकीदार 1 एवं माली 1)	4	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
योगः–	**4**	**1**	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	**1**	–	–	–

टीप :–

- उपरोक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद के अनुसार नवीन पद मिलने पर या रिक्त होने पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

2. <u>भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–</u>

<u>आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर, वाटरमेन, चौकीदार एवं माली) के लिए</u>

(अ) वेतनमान :– कलेक्टर, सूरजपुर द्वारा निर्धारित दर पर।

(ब) शैक्षणिक योग्यता :–

(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से न्यूनतम कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा (बोली) का ज्ञान होना चाहिए।

(2) सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण–पत्र। (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

नोटः– शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा जारी स्वीपर, जल वाहक एवं चौकीदार के कार्य का अनुभव हो एवं इसके अतिरिक्त ड्राईवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लम्बर, हाउस कीपिंग, राज मिस्त्री, धोबी, गार्ड के कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें। निजी व्यक्ति/निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

(3) उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

<u>महत्वपूर्ण :–</u>

1– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपने अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

2– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी हैं, जिनके द्वारा अन्य राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के

बावजूद भी उन्हें विज्ञापित पद के विरूद्ध अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किया जावेगा, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

पात्रता की अन्य शर्तें :–

(अ) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(ब) कोई भी उम्मीद्वार, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अन्तर्गत महिला अभ्यर्थी है तो उसने वयस्कता प्राप्त करने के बाद यदि 21 वर्ष से कर्म उम्र के पुरूष से विवाह करती है तथा यदि पुरूष वयस्क अभ्यर्थी है तो वह 18 वर्ष से कर्म उम्र की महिला से विवाह करता है, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(स) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित हैं, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(द) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत करते हुए सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो या उसे घोर कदाचार के लिए पदच्युत या सेवा समाप्त किया गया हो या निकाला गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(इ) ऐसे उम्मीदवार जिसे किसी गंभीर, नैतिक एवं किसी महिला के लज्जा के अवमान या यौन अपराध के लिए किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

आयु–सीमा :–

प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट– छ.ग. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

आयु संबंधी प्रमाण के लिए पांचवीं/आठवीं एवं शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे।

जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>उच्चतम आयु सीमा में छूट :–</u> निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

3 (एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिन्जेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक)(4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

<u>स्पष्टीकरणः–</u> छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।

3 (एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक)(6)– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक)(7)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक)(8)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3 (एक)(9)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनके अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (एक)(10)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

नोट :– **अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/ नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

3 (एक)(11)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3 (दो)(1)— आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ग सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोटः— **आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

3 (दो)(2)— विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीपः— (1) बिन्दु क्रमांक 3(एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिन्दु क्रमांक 3(दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ—साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जायेगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निधारित छूट नहीं दी जाएगी।

(3) उपरोक्त 3(एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(टीपः— माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3842/तीन—18—27/2023/डी.ई. बिलासपुर दिनांक 01.03.2024 एवं छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर जिला रायपुर के पत्र

क्रमांक 1624/450/21–ब/छ.ग./2023 दिनांक 14.02.2024 के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जा रही है :–

1– आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु :–

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30.03.2024 की संध्या 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम (स्वीपर/वाटरमेन /चौकीदार/माली) एवं आवेदक का वर्ग** लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर जिला सूरजपुर छ.ग., पिन कोड– 497229 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के विलम्ब के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

2– आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित (Self Attested) प्रतियां आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रमानुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3– जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा पांचवीं/आठवीं एवं शैक्षणिक अर्हता की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की **अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र** संलग्न करना आवश्यक होगा। (अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात् का संलग्न करना होगा।)

5– कार्यानुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– **कोरियर, ई–मेल, फैक्स** के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7– विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन जिला न्यायालय सूरजपुर के वेबसाईट https://surajpur.dcourts.gov.in/ में किया जा सकता है तथा विाापन में दिये गये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

8– आवेदक, आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित **पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो** चस्पा करेंगा।

9– आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुए दो लिफाफे पर पृथक–पृथक 5–5 रूपये को डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है, तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी।

10– आवेदक, आवेदन पत्र को नीले बॉल पेन/डॉट पेन से ही भरेगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

11– डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

12– विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते है।

13– **त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर** आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा, जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं होगी।

5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

(1) नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–

1– दक्षता/कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी, और उक्त सूची के अनुसार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रावीण्य सूची जारी की जावेगी एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।

2– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–13–4/2006/आ.प्रा./1–3 दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ–13–22/2012/आ.प्र./1–3

दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र एवं प्रारूप–(एक) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4– चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किया गया है।

5– चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जावेगा।

6– चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस व्हेरीफिकेशन कराया जायेगा तथा विपरी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।

7– चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची मे समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। समान अंक, समान जन्मतिथि एवं समान शैक्षणिक योग्यता होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर वरीयता तय की जावेगी जिस अभ्यर्थी के अधिक अंक होंगे, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

8– यह नियुक्ति पूर्णत अस्थायी है, अतएव् नियुक्ति क्री निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर को होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थल पर ही निवास करना आवश्यक होगा।

10– चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर (छ.ग.) का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

(2) <u>नियुक्ति हेतु चयन विधि :–</u>

<u>आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर, वाटरमेन, चौकीदार एवं माली) के पद हेतु :-</u>

दक्षता/कौशल परीक्षा — 50 अंक

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (स्वीपर, वाटरमेन, चौकीदार एवं माली) के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिसकी सूचना जिला न्यायालय सूरजपुर के वेबसाईट https://surajpur.dcourts.gov.in/ पर पृथक से अपलोड की जावेगी।

अभ्यर्थियों की संख्या चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा आठवीं के उच्च प्राप्तांक के आधार पर एवं जिन अभ्यर्थी के पास स्वीपर ,जल वाहक एवं चौकीदार के कार्य का अनुभव एवं अतिरिक्त योग्यता जैसे एल.एम.व्ही. का वैध ड्राईविंग लायसेंस हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कुक, प्लम्बर, हाउस किपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड का अनुभव पर विचार करते हुए रिक्त पदों के वर्गवार दस गुना आवेदकों को दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु छटनी की जा सकेगी।

टीपः— **अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा दी गयी समस्त जानकारी जैसे— शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज सही है, और यदि जांच में यह पाया जाता है कि उनके द्वारा झूठी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, तो उनकी पात्रता बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकेगी और झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही किया जा सकेगा।**

चयन सूची :— दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों की श्रेणीवार/वर्गवार तथा अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जा सकेगी।

6. <u>अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी</u>

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। **<u>पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होना चाहिए।</u>**

7. <u>अन्य महत्वपूर्ण सूचनांए</u>

1– विज्ञापित रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC No. 591/2012, 592/2012, 593/2012, 594/2012 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एस.पी.द (सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगा।

2– आवेदकों को प्रवेश पत्र अपलोड किये जाने की सूचना एवं साक्षात्कार की तिथि, समय एवं परीक्षा स्थल की सूचना जिला न्यायालय के वेबसाईट https://surajpur.dcourts.gov.in/ एवं सूचना पटल के माध्यम से दी जावेगी।

3– जिला न्यायालय, सूरजपुर के वेबसाईट https://surajpur.dcourts.gov.in/ में से पात्र आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे– पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, स्मार्ट कार्ड एवं अपना अर्हता से संबंधी मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से साक्षात्कार परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा, इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

4– साक्षात्कार परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

5– दक्षता/कौशल परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के छः माह के पश्चात् विनिष्टिकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

09.03.24
अध्यक्ष
भर्ती चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, सूरपजुर (छ.ग.)

अनुमोदित
09-03-24
न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
सूरजपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
{आकस्मिकता निधि (स्वीपर, वाटरमैन, चौकीदार, माली) से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु }

आवदेक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो

प्रति,

न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, सूरजपुर (छ.ग.)

1. **आवेदित पद का नाम** – ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....

   (अंग्रेजी के ब्लाक लेटर्स में) ....

3. लिंग– पुरूष, संकेतांक–1, महिला संकेतांक–2 तृतीय लिंग संकेतांक–3 [ ]

4. पिता/पति का नाम ....

5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....
   (हिन्दी में) ....
   ....

   ब) स्थायी पता ....
   ....
   ....

6. अ) जन्म तिथि – अंको में [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

   शब्दों में ....

   ब) दिनांक 01/01/2024 को आयुः– वर्ष [ ] [ ] [ ]

7. क्या आवेदक भारत का मूल नागरिक है? हां/नहीं [ ]

8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) [ ]

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

10. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं ....

11. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड /संस्था का नाम	प्राप्तांक पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

12. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें) – ....

13. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

14. क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है या नहीं? यदि हुआ है तो वर्तमान स्थिति ....

15. क्या आप निर्धारित आयुसीमा में छूट चाहते हैं? हां/नहीं (यदि हां तो दस्तावेज पेश करें।) ....

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है और यदि वे झूठे या गलत पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति के किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक ....

स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता